

अनवान स्टेट बनाम अरसाद अली  
राजस्थान उपविनेशन अधिनियम 1954 की धारा 22  
प्रकरण संख्या 19/2016

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
30.12.21	<p>पत्रावली पेश हुई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा अनवान किशनलाल बनाम इरसाद वगै. निगरानी संख्या 4715/2019, दिनांक 10.08.2021 को नोट प्रेस में खारिज की जा चुकी है, उक्त प्रकरण में निगरानी खारिज होने से स्थगन आदेश भी खारिज हो चुका है। निगरानी खारिज होने से माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के पारित निर्णय दिनांक 16.08.2019 यथावत रह गया, निर्णय में वर्णित भूमि का नामान्तरकरण गैर सायल के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 146 दिनांक 29.11.2021 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो चुका है। अतः पत्रावली इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है, पत्रावली दायरा रजिस्टर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  तहसीलदार (राजस्व) तहसीलदार (राजस्व) छतरगढ़ (बीकानेर)</p>	